

प्रपत्र-2

परिशिष्ट/भारत सरकार के प्रपत्र

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :-

1.

क) अपेक्षित वन पंचायत भूमि के लिए प्रस्ताव में राज्य योजना/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।

जनपद रुद्रप्रयाग के नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि के सालिड वेस्ट मैनेजमेंट हेतु अगस्त्यमुनि-सौड भट्ट गांव मोटर मार्ग पर अगस्त्यमुनि रिजर्व कक्ष संख्या-01 में चयनित 0.90 है० आरक्षित वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव।

ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन पंचायत भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।

संलग्न है।

ग) परियोजना की लागत।

97.53 लाख 17 जून, 2019

घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।

प्रस्तावित भूमि ही एक मात्र विकल्प है।

ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)

संलग्न है।

च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।

40 से 50 क्रमिक प्रतिदिन।

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:

0.000 हैक्टेयर वन पंचायत भूमि।
0.000 हैक्टेयर सिविल वन भूमि।
0.900 हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि
0.000 हैक्टेयर निजी/नाप भूमि

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है

क) परिवारों की संख्या

— शून्य

ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या

— शून्य

ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)

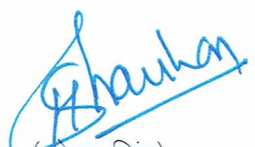
— शून्य

-2-

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ?
(हां/नहीं) नहीं
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये) संलग्न है।
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा। संलग्न है।

दिनांक 12/08/2021
स्थान - अगस्त्यमुनि

Chairman
Nagar Panchayat Augustyamuni
(Rudraprayag-Uttarakhand)


(हरिन्द्र सिंह)
Executive Officer
Nagar Panchayat Augustyamuni
(Rudraprayag-Uttarakhand)
जनपद-रूद्रप्रयाग

प्रस्ताव की क्रम संख्या.....

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)